सत्यमेव जयते

खण्ड - 9 संख्या - 8

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि : 5 जुलाई, 1988 ई०

गंडक नहर योजना का कार्यान्वयन

त्र-49. श्री बुद्धन प्रसाद यादव : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने जून, 1984 में यह घोषणा की थी कि दिनांक 31 मार्च, 1985 तक गंडक नहर को पूरी तरह चालू कर दिया जायगा जिससे गंडक क्षेत्र में सर्वत्र सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा डिवीजन के गंडक के अधिकांश कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार गंडक नहर योजना को कबतक पूरा करने का विचार रखती है, और नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, सिंचाई विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) गंडक योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए गंडक योजना द्वितीय चरण का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली में समर्पित किया जा चुका है। योजना आयोग द्वारा गंडक योजना, द्वितीय चरण के प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा निधि उपलब्ध होने पर गंडक योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जा सकेगा।

श्री भाटिया के विरुद्ध कार्रवाई

ख-8. श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-

5 जुलाई, 1988 ई०

(1) क्या यह बात सही है कि श्री सुरेश कुमार भाटिया, जिला खनन पदाधिकारी, सिंहभूम चाईबासा में पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री भाटिया द्वारा प्रतिमाह 100 सौ ट्रक से अधिक काइनाईट खनिज की चोरी उनके अधीनस्थ खदानों से कराई जा रही है जिससे सरकार को प्रति वर्ष करोड़ो रुपये की क्षति हो रही है;

(3) क्या यह सही है कि श्री भाटिया के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता में लिप्त होने के संबंध में स्थानीय लोगों एवं महामंत्री, जिला कांग्रेस (ई) द्वारा लिखित शिकायत मुख्य मंत्री, बिहार तथा खनन सचिव एवं निदेशक को जनवरी 1985 में दी गई है;

(4) क्या यह बात सही है कि जिला खनन पदाधिकारी, सिंहभूम, चाईवासा के विरुद्ध उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों द्वारा श्री भाटिया को हटाने की मांग करते हुए उनके द्वारा की गई अनियमितता का भंडाफोड़ वर्ष 1984 के दिसंबर में की गयी है;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री भाटिया के काले-कारनामों की जांच कराने तथा इन्हें निलंबित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, और नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग : (1) वस्तु स्थिति यह है कि श्री सुरेश कुमार भाटिया, जिला खनन पदाधिकारी, जमशेदपुर खनन कार्यालय के रूप में पदस्थापित थे।

(2) यह बात सही नहीं है कि इस संबंध में कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी (ई) के महामंत्री द्वारा जनवरी,

1985 को लिखित शिकायत पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 1984 को मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित पत्र, जिसकी प्रति उपायुक्त, चाईबासा को भी दी गयी थी वह उपलब्ध है, उक्त शिकायत पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच उपायुक्त, चाईबासा ने मेसी-परियोजना पदाधिकारी, ढालभूम से कराई है जिन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि जाँच हेतु शिकायतकर्त्ता श्री पांडेय का विधिवत् लिखित सात बार विभिन्न तिथियों को पत्र द्वारा सूचित किया गया, लेकिन वे कभी भी जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। मेसी पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में आगे कहा है कि श्री पांडे के शिकायत पत्र में जिन आरोपों का उल्लेख है वे सामान्य प्रकार के हैं, जो श्री भाटिया के वैयक्तिक और सामाजिक आचरणों और क्रिया-कलापों से संबंधित प्रतीत होता है। इन आरोपों को प्रमाणित करने हेतु शिकायतकर्त्ता ने किसी प्राकर का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रतीत होता है कि किस परिस्थिति में मेसो पदाधिकारी ने साक्ष्य और सबूत के अभाव में उल्लिखित आरोपों को अप्रमाणित माना है।

(4) उत्तर स्वीकारात्मक है। इसकी जांच उप-निदेशक, खान, रांची से कराई जा रही है। वैसे श्री भाटिया का स्थानान्तरण जमशेदपुर से हजारीबाग के लिये कर दिया गया है।

(5) ऊपर वर्णित खंडों के उत्तर में तत्काल श्री भाटिया को निलंबित करने का कोई मामला नहीं बनता है।

सेवा की स्थायीकरण

ज-3. श्री यमुना प्रसाद राम : क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि फारबिसगंज नगर पालिकान्तर्गत